



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267816
CG-DL-E-19112025-267816

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5110]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947

No. 5110]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5281(अ).— दिनांक 06.04.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 05.04.2025 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 627 के आंशिक संशोधन और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, महाराष्ट्र राज्य में मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती अश्विनी सुर्वे-पाटिल, सक्षम प्राधिकारी-3, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, ठाणे, महाराष्ट्र को श्रीमती अस्मिता बलिराम मोरे, उप समाहर्ता, महाराष्ट्र सरकार के स्थान पर, अतिरिक्त प्रभार के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/7/2025-जीपी-II (ई-49235)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2025

S.O. 5281(E).— In partial modification of Government of India notification no. S.O. 627 dated 05.04.2025 published in the Gazette of India on 06.04.2024 and in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. Ashwini Surve-Patil, Competent Authority-3, Slum Rehabilitation Authority, Thane, Maharashtra in place of Smt. Asmita Baliram More, Deputy Collector, Government of Maharashtra to perform the functions of Competent Authority, GAIL (India) Limited, under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, on additional charge basis, in the State of Maharashtra.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/7/2025-GP-II (E-49235)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.